रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2005/अग्रहायण 9, 1927

No. 488] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER , 2005/AGRAHAYANA 9, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2005

सा.का.नि. 698(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये 1 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 के नियम 4 में-

(i) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(6) सिनेमा और टेलीविजन कार्यक्रमों में कोई व्यष्टि या कोई व्यक्ति या कोई पात्र तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को संप्रदर्शित नहीं करेगा:

परंतु यह उपनियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा-

(क) ऐसी भारतीय फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम जिनमें किसी वास्तविक ऐतिहासिक हस्ती को धुम्रपान करते हुए या तम्बाकू का उपयोग करते हुए निरूपण करने के लिए या किसी ऐतिहासिक युग का निरूपण करने के लिए तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को संप्रदर्शित करना आवश्यक है;

(ख) इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने से पूर्व निर्मित पुरानी भारतीय फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम जो सिनेमा हाल या नाट्यशाला में दिखाए जा रहे हैं या टेलीविजन पर प्रसारित किए जा रहे हैं;

3447 GI/2005

(ग) ऐसी विदेशी फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम जिसके अंतर्गत डब की गई या उपनाम वाली विदेशी फिल्में या टेलीविजन कार्यक्रम भी हैं, को सिनेमा हालों या नाट्यशालाओं में दिखाया जा रहा है या टेलीविजन पर प्रसारित किया जा रहा है;

(घ) भारतीय या विदेशी फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रम जो तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को वृत चित्रों या स्वास्थ्य कार्यक्रमों की दशा में संप्रदर्शित किया जा रहा हो जिससे तम्बाकू उपयोग के खतरे और भीषण परिणाम स्पष्ट रूप से और असंदिग्ध रूप से प्रतिबिंबित होते हों;

(ङ.) समाचार, सामयिक क्रिया-कलाप, साक्षात्कार, सार्वजनिक सभाएं, खेलकूद कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी घटनाओं का सजीव प्रसारण जो टेलीविजन पर प्रसारित की जा रही है जिससे तम्बाकू उत्पादों के उपयोग का शुद्धतः आनुषंगिक और पूर्णतः आशयरहित प्रसारण होता है:

परंतु ऊपर खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) तथा खंड (ङ) के अधीन छूट को किसी भी रूप में तंबाकू उत्पादों के ब्रांड या तंबाकू उत्पाद के स्थापन के संप्रदर्शन पर विस्तारित नहीं किया जाएगा। सिगरेट पैकेजों या तंबाकू उत्पादों के निकट शॉट अनुज्ञेय नहीं होंगे और ऐसे दृश्य सिनेमा/नाट्यशाला में दिखाए जाने या टेलीविजन पर प्रसारण से पूर्व निर्माता/वितरक/प्रसारणकर्ता द्वारा संपादित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण (1)- इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से पहले सीबीएफसी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाली सभी फिल्मों को 'पुरानी फिल्मों' की श्रेणी में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण (2)- इस उपनियम के प्रयोजनार्थ 'विदेशी फिल्म' का अभिप्राय 'आयातित' से है जैसा कि चलचित्रदर्शी (प्रमाणन) नियम, 1983 में परिभाषित किया गया है।

(छक) फिल्म के निर्माता या वितरक के लिए यह अज्ञापक होगा कि वह उसरा फिल्म के प्रारंभ, मध्य और अंत में स्क्रीन प्रिंट में न्यूनतम तंबाकू प्रतिषेध स्वास्थ्य स्पाटों को सम्मिलित करके प्रदर्शित करे। पुरानी भारतीय फिल्मों की दशा में उस सिनेमा हाल या थियेटर जहां फिल्म प्रदर्शित की जा रही है, का मालिक या प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि इन तंबाकू प्रतिषेध स्वास्थ्य स्पाटों को यथविहित रूप में सम्यकतः स्क्रीन किया गया है। इस उपनियम के उपबंध, उपनियम 6 के खंड (ङ) को लागू नहीं होंगे।

(छख) टेलीविजन कार्यक्रमों की दशा में, प्रसारणकर्ता के लिए यह अज्ञापक होगा कि वह प्रत्येक तीस मिनट या उससे कम के टेलीविजन कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान टेलीविजन के पर्दे के नीचे मुख्य स्क्रॉल के रूप में तंबाकू प्रतिषेध स्वास्थ्य चेतावनी के स्थापन को या तो सुनिश्चित करेगा या न्यूनतम तीस सेकण्ड की अवधि के लिए तंबाकू प्रतिषेध स्पाट का प्रसारण को सुनिश्चित करे। टेलीविजन कार्यक्रम के तीस मिनट से अधिक अवधि का होने की दशा में अगले तीस सेकण्ड का प्रसारण सभय प्रत्येक तीस मिनट की बढोत्तरी पर तंबाकू प्रतिषेध स्पाट के प्रसारण के लिए आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक तंबाकू प्रतिषेध स्पाट की न्यूनतम अवधि 15 सेकण्ड से कम नहीं होगी। इस उपनियम के उपबंध, उपनियम 6 के खंड (घ) और (ङ) को लागू नहीं होंगे :

परंतु तंबाकू प्रतिषेध स्वास्थ्य चेतावनी स्क्रॉल सफेद पृष्ठभूमि में काले रंग के फोंट में होगी जो स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य हो। स्वास्थ्य चेतावनी के पाठ में तंबाकू का उपयोग धूमपान के रूप में होने के लिए "धूमपान से कैंसर होता है" या धूमपान से मौत होती है और चबाने या अन्य रूप में तंबाकू के उपयोग होने के लिए "तंबाकू से कैंसर होता है" या "तंबाकू से मृत्यु होती है" या ऐसी अन्य चेतावनी जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, होगा।

परंतु यह और कि तंबाकू प्रतिषेध स्वास्थ्य चेतावनी स्क्रॉल या स्वास्थ्य स्पाट फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रम में यथा प्रयुक्त भाषा या भाषाओं में होगा। डब की गई या उपशीर्षक की फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रमों के मामले में स्पाट या स्क्रॉल डबिंग या उपशीर्षक की भाषा में होंगे।

(ii) उपनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

" क्रीड़ा, सांस्कृतिक और अन्य घटनाएं / क्रियाकलाप जो अन्य देशों में हो रही है और भारत में टेलीविजन पर प्रसारित की जा रही हैं के सीधे या विलंबित सीधे प्रसारण के मामलों के सिवाय जहां कहीं तंबाकू उत्पादों के ब्रांड

नाम, लोगो चित्र का कोई भाग किसी भी रूप में मुद्रित या वाह्यमीडिया या उसे इलैक्ट्रानिक मीडिया के किसी भी रूप में प्रसारित किया जाता है तो यह मीडिया को सुनिश्चित करना आज्ञापक होगा कि वह उसे काट दे या ढक दे कि तंबाकू उत्पादों के ब्रांड नाम और लोगो दिखाई न पड़े ।"

(iii) उपनियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (8) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद्, भारतीय प्रेस परिषद्, संसद् और स्वैच्छिक संगठनों के अन्य प्रतिनिधित्व सहित संघ स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन विषय निर्वाचक समिति का गठन किया जाएगा । समिति स्वप्रेरणा से संज्ञान लेगी या अधिनियम की धारा 5 के अधीन विनिर्दिष्ट उल्लंघनों पर विचार करेगी । समिति अप्रत्यक्ष विज्ञापन और संवर्धन से संबंधित मामलों का भी मूल्यांकन करेगी और उनपर आदेश पारित करेगी ।"

[फा. सं. पी-16012/1/2005-पीएच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 (i) में सा.का.नि.137 तारीख 25 फरवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 345(अ) तारीख 31 मई, 2005 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2005

G.S.R. 698(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003", the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution (Second Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the 1st day of January 2006.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution (Amendment) Rules, 2004, in rule 4,-

(i) for sub-rule (6),the following shall be substituted, namely:-
"(6) No individual or a person or a character in cinema and television programmes shall display tobacco products or their use: provided that this sub-rule shall not apply to

(a) Indian films and television programmes displaying use of tobacco products necessary to represent the smoking or tobacco usage of a real historical figure or for representation of a historical era;

(b) Old Indian films and television programmes, produced prior to coming into effect of this notification, being screened in a cinema hall or theatre or aired on television;

(c) Foreign films and television programmes, including dubbed or sub-titled foreign films or television programmes, being screened in cinema halls or theatres or aired on television;

(d) Indian or foreign films and television programmes, displaying use of tobacco products, in case of documentaries or health spots made to clearly and unambiguously reflect the dangers and dire consequences of tobacco use;

(e) Live coverage of news, current affairs, interviews, public meetings, sports events, cultural events and the like, being telecast on television whereby there is a purely incidental and completely unintentional coverage of use of tobacco products:

Provided that the exemptions under clauses (a), (b), (c), (d) & (e) above shall not extend to display of brands of tobacco products or tobacco product placement in any form. Close ups of cigarette packages or tobacco products shall not be permissible and such scenes shall be edited by the producer/distributor/broadcaster prior to screening in cinemas/theatres or airing on television.

Explanation (1).- For the purpose of this sub-rule, all films that receive CBFC certification prior to the effective date of this notification shall be categorized as 'old films'.

Explanation (2),- For the purpose of this sub-rule, 'Foreign film' implies 'Imported' as defined in the Cinematograph (Certification) Rules, 1983.

(6A) It shall be mandatory for the producer or distributor of the film to include anti tobacco health spots of minimum thirty seconds duration in the master print, to be screened at the beginning, middle and end of the said film. In case of old Indian films, the owner or manager of the cinema hall or theatre where the film is being screened shall ensure that these anti tobacco health spots are duly screened as prescribed. The provisions of this sub-rule shall not apply to clause (d) of sub-rule 6.

(6B) In case of television programmes, it shall be mandatory for the broadcaster to ensure either placement of an anti tobacco health warning as a prominent scroll at the bottom of the television screen during the period of such display or airing of anti tobacco health spots for a period of minimum thirty seconds during the telecast of each television programme of thirty minute duration or less. In case the television programme is more than thirty minutes further airtime of 30 seconds shall be allocated for each incremental thirty minutes, for telecasting anti tobacco spots. The minimum duration of each anti tobacco spot shall be not less than 15 seconds. The provisions of this sub-rule shall not apply to clauses (d) and (e) of sub-rule 6:

Provided that, the anti tobacco health warning scroll shall be legible and readable with font in black colour on white background. The text of the health warning shall be 'Smoking causes cancer' or 'Smoking kills' for smoking form of tobacco use and 'Tobacco causes cancer' or 'Tobacco kills' for chewing and other form of tobacco or such other warning as may be specified by the Government:

Provided further that, the anti tobacco health warning scrolls or health spots shall be in the same language(s) as used in the film or television programme. Incase of dubbed or sub-titled films or television programmes, the scrolls or spots shall be carried in the language of dubbing or sub-titlement"

(ii) for sub-rule (7),the following shall be substituted, namely:-

"Wherever brand names or logos of tobacco products form a part of the pictures to be printed in any form of print or outdoor media or footage to be aired through any form of electronic media, it shall be mandatory for the media to crop or mask the same to ensure that the brand names and logos of the tobacco products are not visible, except in case of live or deferred live telecast of sports, cultural and other events/activities held in other countries being aired on television in India".

(iii) after sub-rule (7),the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(8) A Steering Committee shall be constituted under the chairmanship of the Union Health Secretary with representation from among others the Ministry of Information & Broadcasting, Ministry of Law & Justice, Advertising Standards Council of India, Press Council of India, Members of Parliament and voluntary organizations.

This Committee will take cognizance suo moto or look into specific violations under section 5 of the Act. The Committee shall also evaluate cases related to indirect advertising and promotion and pass orders thereof".

[F. No. P-16012/1/2005-PH]
BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3(i) vide number GSR 137 dated the 25th February, 2004 and were amended vide number GSR 345 E dated the 31st May 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.